



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237435
CG-DL-E-22072022-237435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3169]
No. 3169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ 31, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का.आ. 3330(अ).—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि नागरिकता नियम, 2009 के नियम 40 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां गोवा राज्य के निवासियों द्वारा अन्य देश की नागरिकता अर्जन करने के विषय में जांच करने के प्रयोजन के लिए जिला कलेक्टर, उत्तरी गोवा और जिला कलेक्टर, दक्षिणी गोवा द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी तथा उक्त नियमों की अनुसूची-III में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को अपनी उचित सिफारिशें करेगा, अर्थात्:-

- (क) जिला कलेक्टर द्वारा सम्यक प्रचार के पश्चात आवेदन और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी;
 - (ख) अधिनियम और नागरिकता नियम, 2009 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उचित तथा पारदर्शी रीति से जांच की जाएगी;
 - (ग) जांच के पश्चात, जिला कलेक्टर प्रत्येक मामले का ब्यौरा देते हुए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगा।
2. यह आदेश, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 26030/34/2013-आई.सी.-I]

सुमन्त सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3330(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (2) of Section 9 of the Act read with rule 40 of the Citizenship Rules, 2009, shall be exercisable by the District Collector, North Goa and District Collector, South Goa for the purpose of inquiring into the issue of acquisition of citizenship of another country by residents of the State of Goa and make appropriate recommendations to the Central Government through the State Government in accordance with the procedure specified in Schedule III of the said rules, subject to the following conditions, namely :-

- (a) the application and objection shall be invited after due publicity by the District Collector ;
- (b) the inquiry shall be conducted in fair and transparent manner keeping in mind the provisions contained in the Act and the Citizenship Rules, 2009;
- (c) after inquiry, the District Collector shall make recommendations to the Central Government giving details of each case.

2. This Order shall remain in force for a period of two years from the date of publication of this notification.

[F. No. 26030/34/2013-IC-I]

SUMANT SINGH, Jt. Secy.